रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2011/फाल्गुन 12, 1932
No. 105] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2011/PHALGUNA 12, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2011

सा.का.नि. 178(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 195(अ) का अधिक्रमण करते हुए उन संबंधित कार्यों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने हैं, केन्द्र सरकार एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) माननीय श्री न्यायमूर्ति, जी. एस. सिस्तानी, अध्यक्ष

(ख) माननीय श्री न्यायमूर्ति, वाल्मिकी जे. मेहता, सदस्य

(ग) माननीय श्री न्यायमूर्ति, एम. एल. मेहता, सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2011 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 674/1/2005-सी.शु.-VIII]

ए. के. शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण : अधिसूचना सं. सा.का.नि. 195(अ), दिनांक 16 मार्च, 2010 भारत के राजपत्र, (असाधारण) भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 17 मार्च, 2010 को प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Economic Intelligence Bureau)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2011

G.S.R. 178(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 195(E), dated the 16th March, 2010 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :—

(i) Hon'ble Mr. Justice G. S. Sistani, Chairman

(ii) Hon'ble Mr. Justice Valmiki J. Mehta, Member

(iii) Hon'ble Mr. Justice M. L. Mehta, Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2011.

[F. No. 674/1/2005-Cus.-VIII]

A. K. SHARMA, Under Secy.

Note : The Notification No. G.S.R. 195(E), dated the 16th March, 2010 was published in the Gazette of India, (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 17th March, 2010.

816 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.